न्यायमूर्ति *जे.एस. खेहर और एम. एम. कुमार*

मंजीत कौर, *— याचिकाकर्ता*

बनाम

एम.डी.यू. रोहतक और अन्य, *— उत्तरदाताओं*

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 18420 OF 2003

19 जनवरी 2004

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 226 -बी.एससी. में प्रवेश। (नर्सिंग) कोर्स-याचिकाकर्ता ने हरियाणा में मान्यता प्राप्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की-प्रॉस्पेक्टस के खंड (1) के लिए आवश्यक है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जिन्होंने नियमित रूप से 10 + 1 और 10 + 2 कक्षाओं का अध्ययन किया है। छात्र-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है क्योंकि उसने ऐसे संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की है जहां नियमित कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं-अभिव्यक्ति 'नियमित'- अर्थ- -कानून, नियम, स्थापित अभ्यास आदि के अनुसार-जरूरी नहीं कि एक उम्मीदवार ने प्रतिदिन स्कूल में उपस्थित होकर दौरा किया हो -नियमित कक्षाओं में भाग लेकर अध्ययन करने वाले उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवारों के बीच अंतर करके वस्तु के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉस्पेक्टस के खंड (I) की पात्रता मानदंड को मध्यस्त माना जाता है और वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उलँघन करता है- याचिका को अनुमति दी जाती है और संस्थान को यह निर्देश

है कि वह याचिककर्ता को पात्र मानते हुए प्रवेश के लिए उसके मामले पर विचार करे।

निर्धारित किया गया है कि क्लॉज़ 1 के अवलोकन से प्रॉस्पेक्टस के पात्रता मानदंड से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस उम्मीदवार ने हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+1 और 10+2 कक्षाओं का अध्ययन किया है वह बी.एससी. के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे उम्मीदवार ने नियमित उम्मीदवार के रूप में 10+1 और 10+2 कक्षाओं का अध्ययन किया हो। खंड (I) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'नियमित **कैनडिट** ' का यह अर्थ नहीं होगा कि एक उम्मीदवार को प्रतिदिन कक्षाओं में भाग लेकर स्कूल जाना होगा। आम बोलचाल में 'नियमित' शब्द का अर्थ कानून, नियम, स्थापित प्रथा आदि के अनुसार होगा। 'नियमित' शब्द का जो अर्थ दिया गया है उससे यह आवश्यक नहीं है कि केवल वही छात्र नियमित उम्मीदवार माने जाएंगे जिन्होंने प्रतिदिन या नियमित रूप से स्कूल जाकर कक्षाओं में भाग लिया हो ।

(पैरा 7 और 9)

इसके अलावा, यह माना गया कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है वह यह प्रतीत होता है कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को बी.एससी. में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किया जाए। (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए उसे 10+1 और 10+2 कक्षाओं के पाठ्यक्रम अध्ययन से परिचित होना चाहिए। इसके अलावा, उसे उन कक्षाओं को पैन करने की आवश्यकता को पूरा करना होगा। उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि उसने नियमित रूप से स्कूल जाकर पढ़ाई की

होगी या घर पर रहकर पढ़ाई की होगी. इसलिए, कक्षाओं में भाग लेकर अध्ययन करने वाले एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच जो अंतर निकालने की कोशिश की गई है, वह एक समझदार अंतर पर आधारित नहीं है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए, खंड (1) के लाभ के लिए व्यक्तियों का ऐसा वर्गीकरण बिल्कुल मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

(पैरा 12)

के एस. धालीवाल, वकील याचिकाकर्ता के लिए।

कुमारी रितु बाहरी, डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा।

आर. एस. टैकोरिया, प्रतिवादी के लिए वकील नं. 1.

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार,

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में उठाया गया एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या प्रोस्पेक्टस में प्रदान किए गए प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड का खंड (I) संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांतों के नुस्खे का उत्तर देता है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने बी.एससी. में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। (नर्सिंग) पाठ्यक्रम सत्र 2003-04 के

लिए, पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि का है। उन्होंने 18 जून, 1999 को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 8 जून, 2003 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नई दिल्ली से अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उन्होंने बी.एससी. (नर्सिंग) कोर्स में प्रवेश करने के लिए समय पर आवेदन किया। । किन्तु उसे प्रतिवादी नंबर 2 यानी पं. बी. डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक द्वारा योग्य नहीं माना गया था क्योंकि उसने एक नियमित छात्र के रूप में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी जैसा कि प्रॉस्पेक्टस के खंड (I) के अनुसार आवश्यक है। प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के खंड (I) के अनुसार केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पात्र माना जाता है जिन्होंने हरियाणा में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में 10 +1 और 10 +2 कक्षाओं का अध्ययन किया हो।.

(3) लिखित बयान में, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा रुख लिया गया है कि याचिकाकर्ता ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नई दिल्ली से अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2003 में उत्तीर्ण की है, जिसे मुखी नेशनल ओपन स्कूल, गोहाना (सोनीपत) के नाम से जाना जाता है। उत्तरदाताओं के अनुसार, उपर्युक्त केंद्र एक नियमित अध्ययन केंद्र नहीं है और याचिकाकर्ता को नियमित उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसने नियमित उम्मीदवार के रूप में अध्ययन किया है। प्रॉस्पेक्टस में पात्रता की शर्त पर यह भी जोर दिया गया है कि प्रॉस्पेक्टस में कुछ भी निकाला या जोड़ा नहीं जा सकता । हालाँकि, इस

बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से उत्तीर्ण की गई सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा की हरियाणा में मान्यता प्राप्त है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री के. एस. धालीवाल ने तर्क दिया है कि पात्रता मानदंड का खंड (I) बिल्कुल भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि उसने ऐसे संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की है जहां नियमित कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल पूरे देश के साथ-साथ हरियाणा राज्य द्वारा भी एक मान्यता प्राप्त संस्थान है, और इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों और वहां से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।

(5) प्रतिवादी नंबर 1 के लिए विद्वान वकील श्री आर. सी. टैकोरिया और प्रतिवादी नंबर 2 के लिए हरियाणा की उप महाधिवक्ता कुमारी रितु बाहरी ने तर्क दिया है कि एक बार याचिकाकर्ता प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल रही थी और अब विशेष रूप से प्रवेश न दिया जाए जब कोई सीट खाली ही न रह गई हो। विद्वान वकील के अनुसार 18 सितंबर, 2003 को आयोजित काउंसलिंग के बाद कोई भी सीट खाली नहीं रही और इसलिए याचिकाकर्ता को समायोजित नहीं किया जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित

उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को ही पात्र माना जा सकता है। प्रॉस्पेक्टस के खंड (I) का यह कहकर बचाव किया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हमारा विचार है कि यह याचिका सफल होने योग्य है।. प्रॉस्पेक्टस के पात्रता मानदंड के खंड (I) का संदर्भ देना उचित होगा जो इस प्रकार है:

" केवल निम्नलिखित श्रेणियों की उम्मीदवार महिला ही बी.एससी. में प्रवेश के लिए आवेदन करेंगी। (नर्सिंग)-4 वर्ष बुनियादी पाठ्यक्रम।"

" वे उम्मीदवार जिन्होंने हरियाणा में मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित उम्मीदवारों के रूप में 10+1 और 10+2 कक्षाओं का अध्ययन किया है (ऐसे उम्मीदवार परिशिष्ट 'ए ' में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार अंतिम बार उपस्थित संस्थान के प्राचार्य/प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।)"

(7) उपरोक्त खंड का अनुमान यह स्पष्ट करता है कि जिन उम्मीदवारों ने किसी हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 + 1 और 10 + 2 कक्षाओं का अध्ययन किया है वे बी.एससी. (नर्सिंग) कोर्स आवेदन करने के लिए पात्र होगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे उम्मीदवारों को अवश्य करना चाहिए कि 'नियमित उम्मीदवार' के रूप में 10 + 1 और 10 + 2 कक्षाओं का अध्ययन

किया है। खंड (l) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'नियमित उम्मीदवार' जरूरी नहीं होगा कि इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार ने हर रोज स्कूल कक्षाओं में भाग लेने के लिए गया हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में, अभिव्यक्ति 'रेगुलर' का अर्थ कानून, नियम, स्थापित अभ्यास आदि के अनुसार होगा। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के तीसरे संस्करण के अनुसार, अभिव्यक्ति 'नियमित' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "..... 4. किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण करना, या कुछ का अवलोकन करना। कार्य या आचरण का एक समान सिद्धांत का पालन करना: अभिव्यक्ति के लिए निश्चित समय का पालन करना, या कभी नहीं असफल होना, कुछ कृत्य का प्रदर्शन या कर्त्तव्य..... 5. कुछ स्वीकृत या स्वीकृत के अनुरूप नियम या मानक को औपचारिक रूप से सही माना गया.....

(8) चैंबर्स इंग्लिश डिक्शनरी अभिव्यक्ति 'नियमित' को परिभाषित करती है:

> ".....निम्नानुसार है नियम, कानून, व्यवस्था, आदत से या उसके अनुसार शासित। कस्टम द्वारा स्थापित अभ्यास, निर्धारित मोड, या चीजों का सामान्य क्रम: रखा, व्यवस्थित, आदि विवाह के स्थान या समय में नियमित अंतराल। उद्घोषणा के बाद धर्म मंत्री द्वारा मनाया गया बैन का पूर्वोक्त अर्थ का एक अनुमान जो सौंपा गया है अभिव्यक्ति 'नियमित' जरूरी नहीं कि निष्कर्ष की ओर ले जाए, केवल वे छात्र जिन्होंने कक्षाओं में भाग लिया है हर दिन या

नियमित रूप से स्कूल को नियमित उम्मीदवार माना जाएगा....."

(9) अभिव्यक्ति 'नियमित' को दिए गए उपरोक्त अर्थ का अवलोकन आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि केवल वे छात्र जो प्रतिदिन या नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होकर कक्षाओं में भाग लेते हैं, उन्हें नियमित उम्मीदवार माना जाएगा।

(10) ऐसा अभ्यर्थी जिसने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में भी नियमित रूप से अध्ययन किया हो वह खंड (I) की आवश्यकता को पूरा करेगा। किसी भी मामले में हम नियम की व्याख्या बाहर पढ़ने/रीडिंग डाउन के सिद्धांत के आधार पर करने के इच्छुक हैं क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां एक और व्याख्या है जो नियम की संवैधानिक वैधता को बनाए रखती है, न कि वह व्याख्या जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन होता है। बाहर पढ़ने/रीडिंग डाउन के उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बार-बार लागू किया गया है। इस संबंध में **20वीं शताब्दी निगम लिमिटेड वाई. महाराष्ट्र राज्य** [1]**और के. अंजैया बनाम के. चंद्रैया**[2] के मामले में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। **के. अंजैया के मामले** (सुप्रा) में, आधिपत्यों द्वारा निम्नानुसार देखा गया:-

"यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि क़ानून और नियम या विनियमन को संवैधानिक रूप से वैध माना जाना चाहिए जब तक

---

[1] (2000) 6 एस.सी.सी. 12

[2] (1998) 3 एस.सी.सी. 218

कि यह स्थापित न हो जाए कि वह संविधान के किसी विशिष्ट प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा इस न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि संभव हो वह किसी भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझना या नियम या विनियम को बनाए रखे न कि प्रावधानों को एकमुश्त रद्द करे।"

11) इसी तरह का विचार सुप्रीम कोर्ट ने **सीएसटी बनाम राधाकृष्णन**[3] के मामले में व्यक्त किया है और वह इस प्रकार से पढ़ा जाता है:

"किसी क़ानून की वैधता पर विचार करते समय अनुमान उसकी संवैधानिकता के पक्ष में होता है और यह बोझ उस पर होता है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए न्यायालय इस पर विचार कर सकता है कि सामान्य ज्ञान के मामले, सामान्य रिपोर्ट के मामले, समय का इतिहास और तथ्यों की हर स्थिति को मान सकते हैं जिनकी भी कल्पना की जा सकती है। यह हमेशा माना जाना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की ज़रूरतों को समझती है और सही ढंग से उनकी सराहना करती है और यदि कोई भी भेदभाव करती है तो वह भी पर्याप्त आधार पर आधारित है । संवैधानिक अमान्यता से बचने के लिए न्यायालयों को अनुभाग की उदार व्याख्या देने में उचित ठहराया जाएगा। इन वैधता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन सिद्धांतों ने अनुभागों को पढ़ने के नियम में वृद्धि कि है "

[3] 1979) 2 एस.सी.सी. 249

12) यदि प्रतिवादी द्वारा अपनाई की गई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा परिकल्पित सिद्धांतों का उल्लंघन करना होगा। स्वीकार्य वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् (i) वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है और (ii) उस भिन्नता का उस वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में प्रतिमा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, दो समूहों के व्यक्तियों के बीच बनाया गया अंतर अध्ययन का तरीका है। एक समूह को स्कूल जाकर और प्रतिदिन कक्षा में जाकर पढ़ाई करनी होती है और दूसरे समूह को घर बैठकर पढ़ाई करनी होती है और अंत में परीक्षा देनी होती है। दोनों प्रयासों का परिणाम एक ही है अर्थात् 10+1 या 10+2 परीक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त करना। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य यह है कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र घोषित किया जाए उसे 10+1 और 10+2 के अध्ययन से उसे परिचित होना चाहिए । इसके अलावा, उसे उन कक्षाओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को पूरा करना होगा। उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि उसने नियमित रूप से स्कूल जाकर पढ़ाई की हो या घर पर रहकर पढ़ाई की होगी । इसलिए, कक्षाओं में भाग लेकर अध्ययन करने वाले एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच जो अंतर निकालने की कोशिश की गई है वह किसी समझदार अंतर पर आधारित नहीं है और जिस उद्देश्य को हासिल करना चाहा है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए, प्रॉस्पेक्टस की पात्रता मानदंड के खंड (I) के लाभ के लिए व्यक्तियों का ऐसा वर्गीकरण बिल्कुल मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह सर्वविदित है कि समानता और भेदभाव कट्टर शत्रु हैं और एक-दूसरे का साथ नहीं दे

सकते। **ई.पी. में रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य**[4] में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण के सिद्धांत से खुले अंत नियम पर भी जोर दिया है। वर्तमान माम ले में यदि पात्रता मानदंड के खंड (I) को दिए गए अर्थ को अपनाया जाता है तो यह ऊपर उल्लिखित वर्गीकरण के दोहरे परीक्षण को पूरा करने में विफल रहेगा। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि पढ़ने के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह खंड (I) को संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर घोषित होने से बचाएगा। अत: यह याचिका सफल होने योग्य है।

(13) ऊपर बताए गए कारणों से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड का खंड (I) जैसा कि वर्ष 2003-2004 के प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित है उसका अर्थ यह है कि जिन उम्मीदवारों ने हरियाणा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित उम्मीदवारों के रूप में 10 + 1 और 10-2 कक्षाओं का अध्ययन किया है, उन्हें पात्र माना जाएगा। अत: नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूल, नई दिल्ली से सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने को खंड (1) के तहत शामिल माना जाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता को प्रवेश लेने के लिए पात्र घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उसे पात्र मानते हुए प्रवेश के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़े और यदि वह 18-9-2003 को हुई काउंसलिंग में सफल पाई जाती है, तो उसे बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए।

(14) उपरोक्त शर्तों के तहत याचिका स्वीकार की जाती है।

---

[4] ए.आई.आर 1974 एस.सी. 555

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

Hardik Sachdeva
Trainee Judicial Officer
Place of Posting: Bhiwani